

पत्रांक :-3/यो01-30/2024 (उ0 शि0) 195/1954

झारखण्ड सरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय  
सलाहकार से  
परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 16/12/2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत हजारीबाग जिले के बड़कागाँव विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, बड़कागाँव के निर्माण कार्य हेतु रू0 33,85,10,300/- (तैंतीस करोड़ पचासी लाख दस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग -

1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 246/बजट दिनांक 14.10.2024
2. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 3092 (नि0) दिनांक 01.12.2025

आदेश- स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़संकल्पित है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि के उद्देश्य से आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त महाविद्यालयों की स्थापना की कार्यवाई की जा रही है। उक्त के क्रम में डिग्री महाविद्यालय, बड़कागाँव, हजारीबाग के स्थापना एवं निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात् कुल रू0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत हजारीबाग जिले के बड़कागाँव विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, बड़कागाँव के निर्माण कार्य हेतु रू0 33,85,10,300/- (तैंतीस करोड़ पचासी लाख दस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, 01- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203102BP010678) (स्कीम कोड-2104) के अंतर्गत होगा।

5. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की

दिवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	शून्य	-

8

9


6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक-21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।
7. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।
9. विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता-8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।
10. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
11. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।
13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. स्वीकृत्यादेश संख्या 246/बजट दिनांक 14.10.2024 में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

  
16/12/25  
(राहुल कुमार पुरवार)


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-30/2024(उ0शि0) 195/904/राँची, दिनांक-16/12/2025  
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/  
कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16/12/25  
(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-30/2024(उ0शि0) 195/904/राँची, दिनांक-16/12/2025  
प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक,  
झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त  
सचिव/कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन  
पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड  
करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16/12/25  
(राहुल कुमार पुरवार)  
सरकार के प्रधान सचिव।

  
(राम सूरेश कुमार)  
प्रशाखा पदाधिकारी

  
(सुशील कुमार)  
अवर सचिव

  
(सुशील बाड़ा)  
निदेशक, उच्च शिक्षा